प्र०- 138/99

17

प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश दिनांक 4-3-98
न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग ग्वालियर
प्रकरण क्रमांक 31/94-95 विविध

मुंशीलाल पुत्र वृन्दावन निवासी
ग्राम - डोडरी - तहसील - पोरसा
जिला - मुरैना (म० प्र०) - - - - प्रार्थी

विरुद्ध

1- नाथूराम पुत्र मिश्रीलाल निवासी- ग्राम- हरिहर का पुरा, मौजा- कुरेठा - तहसील अम्बाह जिला- मुरैना (म०प्र०)

2. शिव प्रसाद पुत्र वृन्दावन लाल निवासी- ग्राम डोडरी- तहसील- पोरसा जिला- मुरैना हाल निवासी शिक्षक प्राथमिक पाठशाला कीचोल थाना- नगरा तहसील- पोरसा- जिला मुरैना (म०प्र०)

3- रामसेवक पुत्र श्रीचन्द निवासी- ग्राम डोडरी- तहसील- पोरसा- जिला- मुरैना (म० प्र०) - - - - - प्रतिप्रार्थीगण

(म० प्र०)

3 Rs. COURT FEE 3 रु
भारत INDIA
तीन रुपये
THREE RUPEES
निरस्त

3 Rs. COURT FEE 3 रु
भारत INDIA
तीन रुपये
THREE RUPEES
निरस्त

प्रधान प्रतिलिपिकार
कार्यालय आयुक्त चम्बल संभाग ग्वालियर

अपील.938-1993

16-4-16

प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से वस्तुस्थिति यह है कि आवेदक ने अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी कमांक 147/1987-88 प्रस्तुत की थी जो अपीलांट एंव उनके अभिभाषक के सूचना उपरांत अनुपस्थिति रहने के कारण आदेश दिनांक 15-3-1993 को अदम पैरबी में निरस्त कर दी गई।

2/ अदम पैरबी आदेश दिनांक 15-3-1993 से प्रकरण खारिज होने पर प्रकरण पुर्नस्थापित करने हेतु अपीलांट ने अपर आयुक्त के समक्ष संहिता की धारा 35(3) के अंतर्गत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन के साथ पुर्नस्थापन आवेदन दिनांक 1-12-1996 को प्रस्तुत किया, जो अतिविलम्ब से प्रस्तुत होने के कारण एंव अदम पैरबी आदेश की जानकारी उन्हें समय पर होने

के आधार पर निरस्त किया गया है।

भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)- धारा 35 - अत्याधिक अवधि व्यतीत होने के वाद एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोदभूत अधिकारों को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

विद्वान अपर आयुक्त ने इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर लम्बे समय वाद प्रस्तुत धारा 35 (3) के आवेदन को स्वीकार नहीं किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील ठोस आधारों पर आधारित होना नहीं पाये जाने से अमान्य की जाती है। फलतः अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 21/94-95 विविध में पारित आदेश दिनांक 4-3-98 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य